सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, मंगलवार, शाके 1944-सितम्बर 20, 2022 *Bhadra 29, Tuesday , Saka 1944- September 20, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय , जयपुर

कार्यालय-आदेश

जयपुर, मार्च 09, 2022

संख्या मुख्या./कार्मिक/1-सी/बोर्ड एजेण्डा/22/223 :-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 का अनुमोदन निगम मण्डल के निर्णय संख्या 14/2010 द्वारा किये जाने के उपरान्त उक्त विनियम का राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात आदेश संख्या 590 दिनांक 25.06.2010 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया है।

निगम के प्रभावीं अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 में बिन्दु सं0 7 के साथ-साथ उप बिन्दु (4) प्रतिस्थापित किये जाने हेतु निगम मण्डल की 297वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 24/297/21 निम्न प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः-

4. **अनुकम्पा नियुक्ति हेतु यदि कोई आश्रित 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किन्तु 16 वर्ष की आयु के उपरान्त आवेदन करता है तो, प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य होगा एवं ऐसे प्रकरणों में शिथिलन देने हेतु अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सक्षम अधिकारी होंगे। ऐसे प्रकरणों में आश्रित द्वारा आवेदित पद पर नियोजन से पूर्व श्रम अधिनियमों के तहत परीक्षण किया जायेगा।**

उक्त प्रस्ताव को निगम मण्डल के निर्णय संख्या 102/2021 दिनांक 20.12.2021 के द्वारा अनुमोदन किया गया। निगम मण्डल के निर्णय पर सडक परिवहन निगम के अधिनियम-1950 की धारा 45(2)(**C**) के अन्तर्गत पत्र संख्या प.16(1)परि/ 2022 जयपुर, दिनांक 25.02.2022 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 के नियम 7 में उपरोक्तानुसार उप बिन्दू(4) को तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

संदीप वर्मा,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।